

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 318 सन 2021

अनवान :-

1. दलीप सिंह पुत्र रामप्रताप जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. जय प्रकाश पुत्र पूर्णराम जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. सन्तोष देवी पुत्री काशीराम जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर
2. विमला पुत्री काशीराम जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर
3. सरोज पुत्री कौशल्या पुत्री काशीराम जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर
4. फुली पत्नी रामप्रताप जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर
5. माया पुत्री पूर्णराम जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर
6. इन्द्रावती पत्नि पूर्णराम जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर
7. रवि कुमार पुत्र पूर्णराम जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 16/7/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 58/45 की कुल 12.1440 हैक् में से 1/6 हिस्सा एवं खाता संख्या 17/13 की कुल 4.3010 हैक् भूमि काशीराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काशीराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से दर्ज है जो वादीगण का दादा है काशीराम पुत्र रामचन्द्र का देहान्त हो चुका है काशीराम पुत्र रामचन्द्र के जायज व कानुनी वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया - रामप्रताप , कौशल्या , सन्तोष देवी , विमला है जिनमें से रामप्रताप का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नि फुली पुत्र पूर्णराम , दलीप हुए जिनमें से पूर्णराम का देहान्त हो गया जिसके जायज वारिसान इन्द्रावती , माया, जयप्रकाश, रविकुमार हुए इसप्रकार काशीराम पुत्र रामचन्द्र के जीवित जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो काशीराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो मृतक काशीराम पुत्र रामचन्द्र की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 काशीराम की पुत्री कौशल्या की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 मृतक रामप्रताप की पत्नि एवं वादी संख्या 1 की माता है प्रतिवादी संख्या 5 मृतक पूर्णराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की काशीराम वल्द रामचन्द्र जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वज काशीराम वल्द रामचन्द्र के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है काशीराम वल्द रामचन्द्र के वारिसान में से पुत्र/पुत्रीया के देहान्त के उपरान्त सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जायज एवं जीवित हकदार है जो काशीराम के नाम से दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/पुत्रों वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 58/45 की कुल 12.1440 हैक् में से 1/6 हिस्सा एवं खाता संख्या 17/13 की कुल 4.3010 हैक् भूमि काशीराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काशीराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से दर्ज है जो वादीगण का दादा है काशीराम पुत्र रामचन्द्र का देहान्त हो चुका है काशीराम पुत्र रामचन्द्र के जायज व कानुनी वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया - रामप्रताप, कौशल्या, सन्तोष देवी, विमला है जिनमें से रामप्रताप का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नि फुली पुत्र पूर्णराम, दलीप हुए जिनमें से पूर्णराम का देहान्त हो गया जिसके जायज वारिसान इन्द्रावती, माया, जयप्रकाश, रविकुमार हुए इसप्रकार काशीराम पुत्र रामचन्द्र के जीवित जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो काशीराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 जो मृतक काशीराम पुत्र रामचन्द्र की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 काशीराम की पुत्री कौशल्या की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 मृतक रामप्रताप की पत्नि एवं वादी संख्या 1 की माता है प्रतिवादी संख्या 5 मृतक पूर्णराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 58/45 की कुल 12.1440 हैक् में से 1/6 हिस्सा एवं खाता संख्या 17/13 की कुल 4.3010 हैक् भूमि काशीराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।


वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के दादा काशीराम वल्द रामचन्द्र के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है काशीराम के जायज जीवित वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो काशीराम के नाम से दर्ज भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 से स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल है एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार वादीगण के कथनों की पूष्टि होती है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में उनके बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 58/45 की कुल 12.1440 हैक् में से 1/6 हिस्सा एवं खाता संख्या 17/13 की कुल 4.3010 हैक् भूमि काशीराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है दोनो खातों मे काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 एवं 1/2 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 6 , 7 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/07/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (न्यायिक)
वाहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्त दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. दलीप सिंह पुत्र रामप्रताप जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. जय प्रकाश पुत्र पूर्णराम जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. सन्तोष देवी पुत्री काशीराम जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर
2. विमला पुत्री काशीराम जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर
3. सरोज पुत्री कौशल्या पुत्री काशीराम जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर
4. फुली पत्नी रामप्रताप जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर
5. माया पुत्री पूर्णराम जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर
6. इन्द्रावती पत्नी पूर्णराम जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर
7. रवि कुमार पुत्र पूर्णराम जाति ब्रह्मण निवासी रामगढ तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 318 सन 2021 निर्णय दिनांक- 14/9/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 58/45 की कुल 12.1440 हैक में से 1/6 हिस्सा एवं खाता संख्या 17/13 की कुल 4.3010 हैक भूमि काशीराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है दोनो खातों में काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 एवं 1/2 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/9/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर